''बिजनेस पोस्ट के अन्तर्गत डाक शुल्क के नगद भुगतान (बिना डाक टिकट) के प्रेषण हेतु अनुमत. क्रमांक जी. 2-22-छत्तीसगढ़ गजट/38 सि. से. भिलाई, दिनांक 30-5-2001.''



पंजीयन क्रमांक ''छत्तीसगढ़/दुर्ग. तक. 114-009/2003/20-1-03.''

छत्तीसगढ़ राजपत्र

(असाधारण)

प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 49-अ] रायपुर, सोमवार, दिनांक 12 फरवरी 2007—माघ 23, शक 1928

सामान्य प्रशासन विभाग

मंत्रालय, दाऊ कल्याण सिंह भवन, रायपुर

रायपुर, दिनांक 12 फरवरी 2007

अधिसूचना

क्रमांक एफ 5-01/2007/1/एक.—माननीय न्यायाधिपति श्री हन्डयाला लक्ष्मिनारायणस्वामि दत्तु, न्यायाधीश, कर्नाटक उच्च न्यायालय जिनकी नियुक्ति छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधिपति के पद पर भारत सरकार विधि एवं न्याय मंत्रालय (न्याय विभाग की अधिसूचना क्रमांक के. 13030/1/2006-यू. एस. II, दिनांक 6 फरवरी, 2007) द्वारा की गई है, ने अपने पद का कार्यभार दिनांक 12 फरवरी, 2007 को प्रात: 9.30 बजे ग्रहण किया.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
जवाहर श्रीवास्तव, सचिव.

रायपुर, दिनांक 12 फरवरी 2007

क्रमांक एफ 5-01/2007/1/एक.—भारत के संविधान के अनुच्छेद 348 के खण्ड (3) के अनुसरण में इस विभाग की समसंख्यक अधिसूचना दिनांक 12 फरवरी, 2007 का अंग्रेजी अनुवाद राज्यपाल के प्राधिकार से एतद्द्वारा प्रकाशित किया जाता है.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
जवाहर श्रीवास्तव, सचिव.

Raipur, the 12th February 2007

NOTIFICATION

No. F 5-1/2007/1/One.—Hon'ble Justice Shri Handyala Lakshminarayanaswamy Dattu, Judge of the Karnataka High Court, who has been appointed as Chief Justice of Chhattisgarh High Court by the Government of India, Ministry of Law and Justice (Department of Justice Notification No. K. 13030/1/2006-U. S. II, Dated 6th February, 2007) has assumed charge of the office on the 12th February, 2007 at 9-30 a. m.

By order and in the name of the Governor of Chhattisgarh,
JAWAHAR SHRIVASTAVA, Secretary.

संचालक, मुद्रण तथा लेखन सामग्री, छत्तीसगढ़ द्वारा शासकीय क्षेत्रीय मुद्रणालय, राजनांदगांव से मुद्रित तथा प्रकाशित—2007.